

न्यायालय: श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय, अतिरिक्त मुख्य  
न्यायिक मजिस्ट्रेट, अंजड़, जिला बड़वानी (म0प्र0)

आपराधिक प्रकरण क्रमांक 580 / 2012  
संस्थान दिनांक 27.11.2012

म0प्र0 राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र, अंजड़  
जिला-बड़वानी म0प्र0

-----अभियोगी

विरुद्ध

अखिलेश पिता बाबुलाल यादव आयु 26 वर्ष  
निवासी-नवलपुरा, बड़वानी म.प्र.

-----अभियुक्त

// निर्णय //

(आज दिनांक 30.06.2015 को घोषित)

1. पुलिस थाना अंजड़ द्वारा अपराध क्रमांक 292/2012 अंतर्गत 279, 337, 304-ए भा.द.सं. में दिनांक 27.11.12 को प्रस्तुत अभियोग पत्र के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध दिनांक 21.10.2012 को प्रातः लगभग 07:30 बजे, ग्राम बोरलाय, चांद के मकान के सामने बड़वानी रोड़ पर वाहन मोटरसाईकिल क्रमांक एम.पी. 46 एम.ई. 2803 को उपेक्षापूर्ण ढंग से अथवा उतावलेपन से चलाकर ललीत को टक्कर मारकर उसकी ऐसी मृत्यु कारित करने जो आपराधिक मानव वध की कोटि में नहीं आती है, के संबंध में अभियुक्त पर धारा 304-ए भा.द.सं. के अंतर्गत अपराध विचारणीय है।
2. प्रकरण में उल्लेखनीय महत्वपूर्ण स्वीकृत तथ्य यह है कि पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार किया था। अभियुक्त की ओर से ललीत का शव परीक्षण प्रतिवेदन प्रदर्शपी 10 भी स्वीकार किया गया है, इस प्रकार ललीत की मृत्यु होना स्वीकृत है।
3. अभियोजन का प्रकरण संक्षिप्त में इस प्रकार है कि घटना दिनांक 21.10.2012 को फरियादी नानुराम के भाई बाबुलाल का पुत्र ललीत प्रातःकाल घर से साईकिल से दूध देने ग्राम बोरलाय गया था, तब ग्राम बोरलाय से फरियादी को सूचना मिली थी कि चोंद खा के घर के सामने बड़वानी की ओर से मोटरसाईकिल चालक अपनी मोटरसाईकिल को तेज गति एवं लापरवाहीपूर्वक चलाकर लाया और ललीत की साईकिल को पीछे से टक्कर मार दी है, मोटरसाईकिल चालक मोटरसाईकिल को छोड़कर भाग गया। फरियादी

नानुराम एवं बाबुलाल धनोरा से बोरलाय गये थे, आहत ललीत को तब तक बड़वानी के चिकित्सालय ले गये थे, तब फरियादी व बाबुलाल बड़वानी अस्पताल गये जहाँ ललीत बेहोश अवस्था में था तथा मुँह, सिर पर चोटें आई हुई थी। ललीत को बड़वानी चिकित्सालय से इन्दौर चिकित्सालय रेफर किया था। पुलिस ने फरियादी नानुराम द्वारा दी गई सूचना के आधार पर मोटरसाईकिल चालक के विरुद्ध धारा 279, 337 भा.द.सं. में प्रकरण पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना प्रतिवेदन प्रदर्शपी 1 लेखबद्ध की। अनुसंधान के दौरान फरियादी नानुराम की निशांदेही से घटनास्थल का नक्शा मौका पंचनामा प्रदर्शपी 2 बनाया। पुलिस ने फरियादी नानुराम से मोटरसाईकिल बजाज कम्पनी की बिना क्रमांक की जप्त कर प्रदर्शपी 3 का जप्ती पंचनामा बनाया व अभियुक्त अखिलेश से वाहन मोटरसाईकिल के दस्तावेज एवं अभियुक्त की चालन अनुज्ञप्ति जप्त कर प्रदर्शपी 6 का जप्ती पंचनामा बनाया तथा आहत ललीत की चिकित्सा के दौरान मृत्यु हो जाने से अभियुक्त के विरुद्ध संपूर्ण अनुसंधान उपरांत प्रश्नगत अभियोग-पत्र अंतर्गत धारा 279, 337, 304-ए भा.द.सं. न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया

4. अभियोगपत्र के आधार पर मेरे पूर्व के योग्य पीठासीन अधिकारी श्री मसूद एहमद खान, तत्कालीन न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, अंजड़ द्वारा अभियुक्त के विरुद्ध धारा 304-ए भा.द.सं. के अंतर्गत अपराध विवरण विरचित कर अभियुक्त को पढ़कर सुनाए एवं समझाए जाने पर अभियुक्त ने अपराध अस्वीकार किया। धारा 313 दं.प्र.सं. के परीक्षण में अभियुक्त ने स्वयं का निर्दोष होना व्यक्त किया है तथा बचाव में कोई भी साक्ष्य नहीं देना व्यक्त किया।

5. प्रकरण में विचारणीय प्रश्न यह है कि —

क्या अभियुक्त ने दिनांक 21.10.2012 को प्रातः लगभग 07:30 बजे, ग्राम बोरलाय, चौद खा के मकान के सामने बड़वानी रोड़ पर वाहन मोटरसाईकिल क्रमांक एम.पी. 46 एम.ई. 2803 को उपेक्षापूर्ण ढंग से अथवा उतावलेपन से चलाकर ललीत को टक्कर मारी जिससे उसकी ऐसी मृत्यु कारित हुई, जो आपराधिक मानव वध की कोटि में नहीं आती है ?

यदि हाँ, तो उचित दण्डाज्ञा ?

6. अभियोजन की ओर से अपने पक्ष समर्थन में फरियादी नानुराम (अ.सा.1), संजय (अ.सा.2), सीताराम (अ.सा.3), बाबुलाल धनगर (अ.सा.4), पण्डु (अ.सा.5), दुलीचंद पाटीदार (अ.सा.6) एवं सहायक उपनिरीक्षक रामाश्रय यादव (अ.सा.7) के कथन कराये गये हैं, जबकि अभियुक्त की ओर से अपनी प्रतिरक्षा में किसी भी साक्षी का परीक्षण नहीं कराया गया है।

**साक्ष्य विवेचन एवं निष्कर्ष के आधार**  
**उक्त विचारणीय प्रश्न के संबंध में**

7. उक्त विचारणीय प्रश्न के संबंध में फरियादी नानुराम अ.सा. 1 का कथन है कि मृतक ललीत उसका भजीता था। घटना लगभग 2 वर्ष पूर्व की है। घटना वाले दिन ललीत साईकिल से दूध देने बोरलाय गया था, तब उसे सूचना मिली थी कि ललीत को किसी मोटरसाईकिल वाले ने टक्कर मार दी थी, तब वह तथा बाबुलाल ग्राम धनोरा से ग्राम बोरलाय गये थे और ललीत को बड़वानी अस्पताल लेकर गये थे व ललीत को बड़वानी से इन्दौर रेफर किया था। घटनास्थल पर हरे रंग की मोटरसाईकिल पड़ी हुई थी, जिस पर क्रमांक नहीं था। उसने घटना की रिपोर्ट थाना अंजड़ पर की थी। साक्षी ने प्रथम सूचना प्रदर्शपी 1 के ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस को उसने घटनास्थल बताया था, नक्शा मौका पंचनामा प्रदर्शपी 2 है तथा पुलिस ने घटनास्थल से मोटरसाईकिल प्रदर्शपी 3 के अनुसार जप्त की थी। बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया कि उसने प्रदर्शपी 1 लगायत 3 पर अंगूठा निशानी थाने पर किया था। पुलिस ने उसे उक्त दस्तावेज पढ़कर नहीं सुनाये थे।

8. संजय अ.सा. 2, सीताराम अ.सा. 3, बाबुलाल अ.सा. 4 ने भी मोटरसाईकिल दुर्घटना में ललीत को चोट आने के संबंध में कथन किये हैं। साक्षियों का यह भी कथन है कि उक्त मोटरसाईकिल बिना क्रमांक थी। ललीत को ईलाज के लिए बड़वानी अस्पताल ले गये थे। पुलिस ने घटनास्थल पर पड़ी बिना क्रमांक की मोटरसाईकिल को जप्त किया था। बाबुलाल अ.सा. 4 का यह भी कथन है कि गोकुलदास अस्पताल इन्दौर में ललीत की मृत्यु हो गई थी। साक्षी ने वाहन चालक का नाम मोहन गेंदालाल बताया था। बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी बाबुलाल अ.सा. 4 ने स्वीकार किया कि उसने दुर्घटना होते हुए नहीं देखी थी।

9. पंडु अ.सा. 5 ने दिनांक 01.11.12 को थाना अंजड़ के अपराध क्रमांक 292/2012 में जप्त मोटरसाईकिल क्रमांक एम.पी. 46 एम.ई. 2803 का यांत्रिकीय परीक्षण करने पर उसमें कोई भी त्रुटि नहीं होना पाई अथवा अपना यांत्रिकीय परीक्षण प्रतिवेदन प्रदर्शपी 4 भी प्रमाणित किया है। बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया कि प्रदर्शपी 4 का दस्तावेज पुलिस वाले भरकर लाये थे तब उसने उस पर हस्ताक्षर किये थे और उसने उक्त वाहन चलाकर नहीं देखा था।

10. दुलीचंद पाटीदार अ.सा. 6 ने दिनांक 21.10.2012 को थाना अंजड़ में नानुराम द्वारा बिना नम्बर की मोटरसाईकिल के चालक के विरुद्ध ललीत को तेज गति एवं लापरवाही से टक्कर मार देने के संबंध में प्रदर्शपी 1 की रिपोर्ट दर्ज कराने और उसके ए से ए भाग पर अपने हस्ताक्षर होने के संबंध में कथन किये है। बचाव पक्ष की ओर से किये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया कि फरियादी ने मोटरसाईकिल का क्रमांक एवं चालक का नाम नहीं बताया था।

11. सहायक उपनिरीक्षक रामाश्रय यादव अ.सा. 7 ने थाना अंजड़ के अपराध क्रमांक 292/12 की विवेचना के दौरान फरियादी नानुराम के बताये अनुसार प्रदर्शपी 2 का नक्शा मौका पंचनमा बनाने तथा घटनास्थल से बजाज डिस्वहर की मोटरसाईकिल बिना क्रमांक की प्रदर्शपी 3 के अनुसार जप्त करने तथा साईकिल का नुकसानी पंचनामा प्रदर्शपी 5 का बनाने तथा साक्षीगण के कथन लेखबद्ध करने के संबंध में कथन किये है। साक्षी का यह भी कथन है कि उसने अभियुक्त को गिरफ्तार किया था और अभियुक्त के पेश करने पर दुर्घटना कारित करने वाली मोटरसाईकिल का रजिस्ट्रेशन की र्लिप जिस पर मोटरसाईकिल क्रमांक एम.पी. 46 एम.ई. 2803 अंकित था। वाहन के दस्तावेजों एवं अभियुक्त की चालन अनुज्ञप्ति के जप्त कर प्रदर्शपी 6 अनुसार जप्त की थी। साक्षी का यह भी कथन है कि उसने अस्पताल में ललीत की मृत्यु हो जाने के संबंध में मार्ग डायरी प्राप्त होने पर थाने पर मार्ग क्रमांक 59/12 प्रदर्शपी 9 का दर्ज किया था जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। अभियुक्त की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया कि उसने घटनास्थल के आसपास के किसी व्यक्ति के कथन नहीं लिये थे उसे साक्षी सीताराम, सजंय एवं नानुराम एवं बाबुलाल ने वाहन चालक एवं वाहन का क्रमांक नहीं बताया था, लेकिन साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया कि वह घटनास्थल पर नहीं गया था अथवा उसने असत्य विवेचना की है।

12. इस प्रकार किसी भी अभियोजन साक्षी का यह कथन नहीं है कि अभियुक्त द्वारा घटना दिनांक, समय व स्थान पर उक्त वाहन को उपेक्षापूर्ण ढंग से अथवा उतावलेपन से चलाकर उसकी टक्कर ललीत को मारकर उसकी मृत्यु ऐसी परिस्थितियों में कारित की जो आपराधिक मानव वध की श्रेणी में नहीं आती है। यहाँ तक कि घटना के संबंध में उक्त वाहन अभियुक्त द्वारा ही चलाया जा रहा है इस संबंध में कोई साक्ष्य अभिलेख पर नहीं है। ऐसी स्थिति में अभियुक्त के विरुद्ध आरोपित अपराध या अन्य किसी भी अपराध में दोषस्िद्ध नहीं ठहरया जा सकता है न ही उसके विरुद्ध कोई निष्कर्ष भी अभिलिखित किया जा सकता है।

13. उपरोक्त साक्ष्य विवेचन के आलोक में अभियुक्त अफजल के विरुद्ध निर्णय के चरण क्रमांक 5 में उल्लेखित विचारणीय प्रश्न संदेह से परे प्रमाणित नहीं पाया जाता है। अतएव अभियुक्त अफजल को संदेह का लाभ देते हुए धारा 304-ए भा.द.स. के अपराध से दोषमुक्त किया जाकर उसके जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते है ।

14. प्रकरण में जप्तशुदा वाहन मोटरसाईकिल डिस्वकर क्रमांक एम.पी. 46 एम.ई. 2803 दिनांक 01.11.2012 को उसके पंजीकृत स्वामी मोहन पिता गेंदालाल, आयु 38 वर्ष, निवासी- मलवाड़ा, कुक्षी म.प्र. को सुपुर्दगीनामे पर दी गई। उक्त सुपुर्दगीनामा अपील अवधि पश्चात अपील न होने की दशा में स्वतः निरस्त समझा जाये। अपील होने की दशा में उक्त जप्तशुदा संपत्ति का निराकरण माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार किया जाये।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित  
एवं हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया।

मेरे उद्बोधन पर टंकित

(श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय)  
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट  
अंजड़, जिला बडवानी

(श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय)  
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट  
अंजड़, जिला बडवानी